न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–43/2007–08

अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

श्री प्रीतम सिंह

बनाम

श्री प्रताप सिंह आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री टी0आर0 जोशी।

अधिवक्ता प्रतिपक्षगण : श्री रमाकान्त रोहिला।

बावत

मौजा निमगा खत लखौं,परगना जौनसार बावर,
तहसील त्यूणी, जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून द्वारा अपील संख्या–01/2009–10 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रताप सिंह आदि बनाम प्रीतम सिंह में पारित निर्णयादेश दिनांक 05–09–2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मृतक कुँवर सिंह की निष्पादित वसीयत दिनांक 29–03–2008 के आधार निगरानीकर्ता प्रीतम सिंह ने वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरान्त तहसीलदार, त्यूणी के न्यायालय में नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस नामान्तरण प्रार्थना पत्र पर इश्तहार जारी हुआ और वसीयत के गवाहों के बयानों के उपरान्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार, त्यूणी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 01–12–2008 से वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर मृतक वसीयतकर्ता कुँवर सिंह के स्थान पर उनके पुत्र प्रीतम सिंह का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस निर्णयादेश दिनांक 01–12–2008 के विरूद्व प्रतिवादी प्रताप सिंह ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार, त्यूनी ने अपने आदेश दिनांक 15–07–2009 से निरस्त कर दिया। प्रतिवादीगण प्रताप सिंह आदि ने तहसीलदार, त्यूणी द्वारा नामान्तरण आदेश दिनांक 01–12–2008 एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 15–07–2009 के विरूद्व भू–राजस्व अधिनियम की धारा–210 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। विद्वान अपर कलेक्टर ने उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 05–09–2012 से अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार, त्यूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–12–2008 एवं 15–07–2009 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को पुनः परीक्षण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 05–09–2012 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों तथा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता ने अपने पिता की वसीयत के आधार पर तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे तहसीलदार ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार करते

हुए वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का नाम दर्ज अभिलेख किए जाने के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादीगण ने तहसीलदार के नामान्तरण आदेश दिनांक 01–12–2008 के विरूद्व पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो गुणदोष के आधार पर निरस्त हुआ। इन आदेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदातागण ने अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो स्वीकार की गई जिसके विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि निगरानीकर्ता का जन्म श्री गुलाब सिंह की मृत्यु के लगभग दो साल बाद हुआ तथा उसका मामला पोस्ट ह्यूमस पैदाईश का नहीं है कि गुलाब सिंह की मृत्यु के समय निगरानीकर्ता माँ के गर्भ में रहा हो। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया कि निगरानीकर्ता स्वर्गीय कुँवर सिंह का पुत्र है तथा स्व0 गुलाब सिंह की सन्तान को निगरानीकर्ता जो स्व0 कुंवर सिंह का पुत्र है के पक्ष में उसके पिता द्वारा अंकित व निष्पादित वसीयत पर ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है ना ही उनको सुनने का अवसर दिया जा सकता है। अवर अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष कि नियमानुसार घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया व रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्रस्तर ए–373 से 377 के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया या भूमि प्रबन्धक समिति को समन तामील नहीं कराये गये या भू–राजस्व अधिनियम की धारा–197 का पालन नहीं किया गया, सभी कुछ विधि विरूद्व तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। परगना जौनसार बावर में भूमि प्रबन्ध समिति होती ही नहीं है जिस कारण उस पर इश्तहार की तामीली का प्रश्न ही नहीं उठता। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा सहखातेदारों को इश्तहार की तामीली होने के बावजूद विपरीत निष्कर्ष के कारण प्रश्नगत आदेश दोषपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है। निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण का तर्क है कि अपीलार्थी के चाचा स्व0 कुंवर सिंह वादग्रस्त भूमि के मालिक व काबिज थे। स्व0 कुंवर सिंह अपने भाई स्वर्गीय गुलाब सिंह के साथ रहते थे। कुंवर सिंह 03 साल से बीमार चल रहे थे। निगरानीकर्ता ने धोखे से प्रश्नगत वसीयत सम्पादित कराई और अपना नाम सजस्व अभिलेखों में अंकित करा लिया। प्रतिउत्तरदाता ने दिनांक 01–01–2009 को विचारण न्यायालय में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता ने इसके विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वसीयत के गवाह मातबर सिंह द्वारा दिनांक 22–06–2009 को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि उसे वसीयत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्व0 कुंवर सिंह विवाहित तथा निःसन्तान था। निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण वसीयतकर्ता के भाई गुलाब सिंह के पुत्र हैं। निगरानीकर्ता प्रीतम सिंह द्वारा स्व0 कुंवर सिंह का पुत्र बनकर विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज कराया गया। तहसीलदार द्वारा इन तथ्यों को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदातागण वादग्रस्त भूमि के बराबर के हिस्सेदार तथा सहखातेदार हैं। प्रतिउत्तरदातागण पर तहसीलदार न्यायालय से कोई नोटिस तामील नहीं हुआ। अपर कलक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और प्रकरण को विचारण न्यायालय तहसीलदार को पुनः साक्ष्यों के विश्लेषण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

मैंने अवर न्यायालयों में रक्षित अभिलेखों एवं निर्णयादेशों का सम्यक अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने वसीयत के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो तहसीलदार, त्यूणी के निर्णयादेश दिनांक 01–12–2008 से नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ। इस निर्णयादेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदाता ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो तहसीलदार, त्यूनी ने आदेश दिनांक 15–07–2009 से निरस्त कर दिया। तहसीलदार की वाद पत्रावली में रक्षित इश्तहार

कागज संख्या–4 के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि इस पर कुछ व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं परन्तु इस पर लेखपाल/पटवारी की कोई रिपोर्ट भी अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत इश्तहार विधि में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप तामील हुआ है अथवा नहीं। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–197 में भी यह व्यवस्था दी गई है कि– **"धारा 197. उद्घोषणा जारी करने की रीति–** जब कभी इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई उद्घोषणा जारी की जाती है, तो उसकी प्रतियाँ उसे जारी करने वाले अधिकारी के न्याय सदन (Court-house) में, उस तहसील, जिसके अन्दर संदर्भित भूमि स्थित है, के मुख्यालय पर एवं संदर्भित भूमि, पर या के निकट लोक समागम के किसी स्थान पर, चिपकायी (Pasted) जायेंगी, और यदि इसे जारी करने वाला अधिकारी ऐसा निदेश दे, तो इसके अतिरिक्त उस भूमि, जिसका हवाला इसमें दिया गया है, पर या के निकट उद्घोषणा का प्रकाशन ढोल पीट कर किया जायेगा।"

इश्तहार के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि इश्तहार की तामीली में रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्रस्तर ए–373 से 377 में दिये गये प्राविधानों का भी पालन नहीं किया गया है। तहसीलदार, त्यूनी के निर्णयादेश दिनांक 15–07–2009 में यह भी उल्लिखित है कि साक्ष्यों में वसीयत के गवाह श्री मातबर सिंह द्वारा दिनांक 22–06–2009 को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वसीयत के सम्पादन के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बावजूद भी तहसीलदार ने सरसरी तौर पर प्रतिउत्तरदाता का पुनर्स्थापन निरस्त कर दिया जो विधिक रूप से त्रुटियुक्त है। तहसीलदार को चाहिए था कि वे पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर सभी हितबद्ध पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर तदनुसार वाद का निस्तारण करते साथ ही वसीयत के गवाह मातबर सिंह द्वारा पूर्व में दिये गये बयान एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में दिये गये सपथ पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त पुनर्स्थापन प्रार्थना का निस्तारण गुणदोष आधार पर किया जाना चाहिए था। विद्वान अपर कलक्टर द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 05–09–2012 से प्रकरण को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया है, और अभी निगरानीकर्ता को नामान्तरण /पुनर्स्थापन वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। विद्वान अपर कलक्टर के निर्णयादेश में कोई त्रुटि नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलहीन होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित करें। अवर न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 29/10/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।